जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2022 / डी– 3473 दिनांक:–14/12/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	(1) श्रीमती शान्ति देवी (2) ललीता देवी (3) चन्द्र कान्ता (4) रवि कुमार (5) सन्नी कुमार (6) पारस महावर (7) देवेन्द्र कुमार महावर	श्री सीताराम	जी–85	51.53 वर्ग गज	जविप्रा	झालाना फेज–II	नामहस्तान्तरण	रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र
2	डॉ. नितिन बत्रा	श्री इन्द्रसेन बत्रा	सी–316	311.11 व.ग.	जविप्रा	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण	अपंजीकृत हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः– जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी–4524 दिनांकः– 14.12.2022

–ःसूचनाः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बनवारी लाल शर्मा	महावीर अग्रवाल	143	400.00	हसनपुरा–ए गृ. नि.स.स.लि.	महावीर नगर–बी	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2664 दिनांकः 14/12/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा मोती भवन गृह नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के पुर्नगठित भू.स. बी–81 व बी–82 क्षेत्रफल 1134.51 वर्गगज की फ्री–होल्ड लीजडीड श्री राजेन्द्र मित्तल पुत्र श्री भगत राम मित्तल एवं श्रीमती मनीषा मित्तल पत्नी श्री राजेन्द्र मित्तल के पक्ष में क्रमांक 1461 दिनांक 24.05.2022 को जारी की गई थी। श्री राजेन्द्र मित्तल द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित (30 मी. गहराई तक) भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 30 फीट चौडी रोड़, दक्षिण दिशा की ओर 40 फीट रोड़, पूर्वी दिशा की ओर 80 फीट रोड़ एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड सं. बी–79 व बी–80 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–7 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 14/12/22 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/जोन–7/2022/डी– 2665 दिनांक 14/12/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित दी कृष्णा को–ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की योजना के–5, खातीपुरा रोड़, जयपुर के भू.स. 06 क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज की लीज़डीड श्री बी.एस. चौधरी पुत्र श्री सी.बी. चौधरी के पक्ष में दिनांक 18.05.2001 को जारी की गई थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जविप्रा द्वारा पत्र क्रमांक डी–2880 दिनांक 21.08.2017 को श्री चक्रवीर सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी, निवासी भूखण्ड सं. 24–25, मार्ग नं. 18, के.वी. 2 के पास, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान) के पक्ष में किया जा चुका है। श्री चक्रवीर सिंह द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित (30 मी. गहराई तक) भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 160 फीट रोड़, दक्षिण दिशा की ओर भू.सं. 42, पूर्वी दिशा की ओर भू.सं. 05, एवं पश्चिम दिशा की ओर भू.सं. 07 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, ज़ोन–07 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 14/12/2022 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

क्रमांकः जविप्रा / जोन–7 / 2022 / डी– 2657 दिनांक 12/12/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भू.स. सी–09 क्षेत्रफल 400.00 वर्गगज की फ्री–होल्ड लीजडीड श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री जुगल किशोर अग्रवाल एवं श्रीमती द्रोपदी देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल अग्रवाल के पक्ष में क्रमांक 3359 दिनांक 19.09.2022 को जारी की गई थी। श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री जुगल किशोर अग्रवाल एवं श्रीमती द्रोपदी देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर / जोनल विकास योजना–4 में दर्शित मिश्रित भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 80 फीट रोड़, दक्षिण दिशा की ओर अन्य भूखण्ड, पूर्वी दिशा की ओर भू.सं. सी–8, एवं पश्चिम दिशा की ओर भू.सं. सी–10 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर / जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–07 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 12/12/2022 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102194 D-2654 दिनांकः 08/12/2022

लोक सूचना

श्री **KISHAN PRAKASH KHANDELWAL** पुत्र श्री **OM PRAKESH** जाति **MAHAJAN** निवासी **668, JANPATH LANE NO 9 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR**

श्रीमति **SUNITA AGARWAL** पुत्री श्री **MOHAN LAL AGARWAL** जाति **MAHAJAN** निवासी **5 KHA 21 JAWAHAR NAGAR JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISAN PRAKESH KHANDELWAL	202/18	660	0.066
2.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISAN PRAKESH KHANDELWAL	205/17	1613	0.1613
3.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISAN PRAKESH KHANDELWAL	207/19	2063	0.2063
4.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	SUNITA AGARWAL AND KRISAN PRAKESH KHANDELWAL	209/20	1068	0.1068
				कुल	**0.5404**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **08-12-2022** को जारी की गयी।

—Sd/-

प्राधिकृत अधिकारी जोन–07

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–07

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(प्रथम)/2022/डी– 1273 **दिनांकः–** 13/12/22

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जीत खटाना, श्री हर्ष खटाना एवं श्री शक्ति खटाना पुत्रान् श्री उमेश खटाना	श्री गोविन्द राम पुत्र श्री भूराराम जाट	54	206.9	बुनियादी विकास	गोविन्द नगर–।।	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि :– जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के कम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन–उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–I
जविप्रा,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी–1801 दिनांकः–13-12-2022

–ःसार्वजनिक सूचनाः–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैः–

क्र. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	गीता देवी/बनवारी लाल शर्मा (अपोलो नगर हाउ0 को0 सो0 लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–बी)	बी–150	400
2	अशोक केशवानी/अर्जुन लाल केशवानी (मीनावाला गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–पवनपुत्र–जी)	215	252
3	दिनेश केशवानी/अर्जुन लाल केशवानी (मीनावाला गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–पवनपुत्र–जी)	214	216.42
4	कमल चैलानी/गुरूमुखदास चैलानी (मीनावाला गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–पवनपुत्र–जी)	218	225
5	कृष्णावती/ओमप्रकाश पूनिया (मीनावाला गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–पवनपुत्र–डी)	54ए नार्थ	115
6	कृष्णावती/ओमप्रकाश पूनिया (मीनावाला गृ0नि0स0स0लि0 की योजना–पवनपुत्र–डी)	54	116
7	कपिल गर्ग, अजय गर्ग/कृष्ण देव गर्ग (जय अम्बे हा0 को0 आप0 सो0 लि0 जयपुर की योजना–हनुमान वाटिका–प्रथम)	62	219.62

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
2. उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदन द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती शशि कला शर्मा पत्नी श्री बिरदी चंद शर्मा	श्री भुनेश्वर कुमावत पुत्र श्री रामेश्वर लाल कुमावत	वाईए–41	183.33	दी शिवा को–'ऑपरेटिव हाउसिग सोसायटी लि.	6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	लीजडीड	आवंटन, रसीद, साईट प्लान एवं विक्रय पत्र
2.	श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	श्री रामगोपाल शर्मा, श्री मनोज कुमार एवं बनवारी लाल शर्मा पुत्रान श्री रामजीवन शर्मा	एफ–145बी	181.01	निजी खातेदारी	नारायण विहार एफ	लीजडीड	आवंटन, साईट प्लान, अदेय प्रमाण पत्र एव विक्रय पत्र

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.पृथ्वीराज नगर दक्षिण–प्रथम/2022/डी– 2920
दिनांक 13/12/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटैंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}
E:\arvind\VIGYAPTI JOINT 2022.docx

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–4517 दिनांकः– 12.12.2022

–:सूचनाः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती पुष्पा लखानी एवं हनीष लखानी	शेर सिंह	38	410.00	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	सुमेर नगर विस्तार–ए ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय) / 2022 / डी— 4518 दिनांकः— 12.12.2022

—ःसूचनाः—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गगज में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रेखा शर्मा	श्री कमल किशोर शर्मा	40 & 41	284.11	दी फॉरेस्ट व्यू हा.कॉ.सो.लि.	हनुमन्त विहार	लीजडीड	पंजीकृत हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
2	श्री गोविन्द सैनी	स्वंय	10 A	440.43	दी फॉरेस्ट व्यू हा.कॉ.सो.लि.	ममता रेजीडेन्सी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
3	श्रीमती गुल्ली देवी	श्रीमती गोपाली देवी	45	200.00	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री कल्याण विहार	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटैंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:–सूचना:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि की योजना मिथला विहार–ए एवं नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम वाटिका एकीकृत करते हेतु संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 358, 359, 360 को शामिल किया जा रहा है। निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पटटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग	गृह नि.स. स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री नवरतन पुत्र श्री हीरालाल	श्री प्रकाश गंगवानी पुत्र श्री भोजराम गंगवानी	65	154.93	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, विक्रय पत्र
2	श्रीमती नीरजा दुग्गल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार दुग्गल	श्रीमती नीरजा दुग्गल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार दुग्गल	83	233.33	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद,
3	श्री धनश्याम पंवार पुत्र श्री कैलाश चन्द पवार	श्री धनश्याम पंवार पुत्र श्री कैलाश चन्द पवार	34	149.72	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद,
4	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी स्व. श्री बरवारी लाल शर्मा	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी स्व. श्री बनवारी लाल शर्मा	ए–145 बी	113.88	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद,
5	श्री शंकर शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा	श्री शंकर शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा	19	147.22	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद,
6	श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	33	147.22	दी सांगानेर का–आपरेटिव हा. सोसायटी लि	मिथिला विहार ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद,

अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम), इन्द्र पथ सेक्टर–12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड के संबंध मे पट्टा विलेख की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:–जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी– 2936
दिनांक:– 15.12.2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/102268 दिनांक : 14 / 12 / 2022

लोकसूचना

श्री चेतराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी ए–39, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

श्री रणजीत पुत्र श्री रतिराम जाति जाट निवासी 99, कल्याण कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	चेतराम पुत्र श्री मुखराम रणजीत पुत्र श्री रतिराम	2305 / 557	6513.00	0.6513
2.			2307 / 575	210.00	0.0021
3.			2309 / 576	4380.00	0.4380
4.			2311 / 577	7615.00	0.7615
				कुल	1.8718

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.12.2022 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण
प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/102116 दिनांक : 15 / 12 / 2022

लोकसूचना

मैसर्स **जीए बिल्ड डवलपर्स एलएलपी** जरिये पार्टनर **श्री हेमन्त अग्रवाल** पुत्र **श्री रामजीलाल अग्रवाल** जाति **महाजन** निवासी **23, उद्यान पथ, राजेन्द्र नगर, वैशाली नगर, जयपुर।**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	जयसिंहपुरा कांकरोदा, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स जीए बिल्ड डवलपर्स एलएलपी	51 / 1	9991.00	0.9991
2.		सुल्तान पुत्र कुडाराम	51 / 2	7082.00	0.7082
				कुल	**1.7073**

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15.12.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक – जविप्रा / उपा पी.आर.एन. (दक्षिण द्वितीय) / 2022 / डी–4598 दिनांक–15.12.22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कैलाश विहार–द्वितीय के भूखण्ड संख्या 05 क्षेत्रफल 960.00 वर्गगज के भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 141 एवं 142 के आंशिक भाग से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / हितधारी / खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायगा।

ह०
उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करे।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।